राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/ 10715-11140 दिनांक 22/08/2017

1. समस्त, विभागाध्यक्ष
2. बजट नियंत्रण अधिकारी

विषय :– निजी निक्षेप खातों से इलेक्ट्रोनिक भुगतान व्यवस्था चरणबद्ध किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1350–1590 दिनांक 21.04.2017 एवं 8752–9202 दिनांक 30.09.2016 के क्रम में।

महोदय,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में बिन्दु संख्या 192 पर की गई बजट घोषणा ''पी. डी. खातों के भुगतान हेतु इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम का उपयोग चरणबद्ध रूप से आरम्भ किया जावेगा'' एवं बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 230 ''पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से इन सभी कर्मचारियों का वेतन कोषालय के माध्यम से Draw किये जाने की व्यवस्था की जायेगी'' की पालना में इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों द्वारा कोष/उपकोष में संधारित पी. डी. खतों से पी. डी. पेमेन्ट एडवाइस के माध्यम से ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ की जानी है।

नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत http://paymanager.raj.nic.in पर पी.डी. खातों के माध्यम से पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस द्वारा ऑनलाइन भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया संदर्भित परिपत्रों में वर्णित है। नवीन प्रक्रिया के तहत पी.डी. खातों के माध्यम से पी.डी. पेमेन्ट एडवाइज द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के संचालन हेतु पी.डी. खातें प्रशासकों एवं कोष/उपकोष स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

1. निजी निक्षेप खातों से संबंधित समस्त प्रशासक/संचालक इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि यदि वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के बाद वर्तमान में पी.डी. खातें के नाम/प्रशासक/संचालक के पदनाम में परिवर्तन हो गया है तो उसकी अनुमति वित्त (मार्गोपाय) विभाग से पुनः प्राप्त कर तद्नुसार कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को पी.डी. खातें का मास्टर डेटा अपडेट करने हेतु विवरण उपलब्ध करवायें।
2. ऐसे स्वायत्तशासी संस्थान/निगम जिनको एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत आफिस आई.डी. आवंटित नहीं की गई है तथा जिनके पी.डी. खाते कोषालय/उपकोषालय के स्तर पर संधारित किये जाते हैं उन्हें नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत कोषालयों के माध्यम से संव्यवहार प्रारम्भ करने से पूर्व आफिस आई.डी. का आवंटन संबंधित प्रशासनिक विभाग से IFMS बजट मॉड्यूल पर करवाया जाना अनिवार्य होगा, जिससे पे–मेनेजर पर लॉगिन कर पी.डी खातों से पेमेन्ट/समायोजन एडवाइस तैयार की जा सके।
3. ऐसी संस्थाये/निकाय जिनके पी.डी. खाते कोषालयों/उपकोषालयों में संधारित है, जिन्हे वर्तमान में आई.एफ.एम.एफ. बजट मॉड्यूल पर आफिस आई.डी. आवंटित है तथा ऐसी संस्थाऐं जिनके द्वारा बिन्दु संख्या 2 के तहत आफिस आई.डी. प्राप्त की जानी है, उनके आफिस आई.डी. मय पी.डी. खाता संख्या, कोष/उपकोष जिसमें

पी.डी. खाता संधारित है, की सूचना निदेशालय कोष एवं लेखा को दिनांक 22.08.2017 तक अनिवार्य रूप से ई–मेल आई.डी. ao-ifms-rj@nic.in, aaopd.ifms@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई जावे, ताकि पी.डी. खाता धारक संस्थाओं के लॉगिन आई.डी. पासवर्ड पे–मैनेजर पर जनरेट किए जा सके।

4. पी.डी. खातों से पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किए जाने हेतु निजी निक्षेप खातों में दिनांक 01.08.2017 को संबंधित मदों में अवशेष रही स्कीमवार राशि की सूचना (योजनवार) सम्बद्ध प्रशासक/संचालक द्वारा संबंधित कोषालय/उपकोषालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जानी होगी। उसमें संवेतन एवं गैर संवेतन योजनाओं के अवशेष पृथक–पृथक कर एवं पूर्ण मिलान कर कोष/उपकोष कार्यालयों को अवगत करवाये जायेगें, जिसकी कोष/उपकोष कार्यालय स्तर से सिस्टम पर जाँच की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र संबंधित संस्था/निगम/निकाय/स्वायत्तशाषी संस्थान की पी.डी. खातें की पासबुक में अंकित किया जायेगा। इस हेतु पृथक–पृथक Balances Input, Authorization for updation in freezed balances की सुविधा उपलब्ध होगी।

5. ऐसी संस्थाऐं जिनको संवेतन मद में भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि पी.डी. खातें में हस्तांतरित की जाती है, उन संस्थाओं के कार्मिकों के पी.डी. खातों के माध्यम से कार्मिकों को वेतन भुगतान के बिल बनाने की सुविधा पीआरआई पे–मैनेजर http://pripaymanager.raj.nic.in पर उपलब्ध होगी। जिसके लिए संबंधित संस्था द्वारा पीआरआई पे–मैनजर पर कार्मिकों का मास्टर डेटा कार्यालय में उपलब्ध कार्मिक के सेवा अभिलेख से सत्यापित कर सिस्टम पर फीड किया जावेगा। सिस्टम में सर्वप्रथम सर्विस हैड जिसमें वित्त विभाग द्वारा वेतन भुगतान हेतु राशि हस्तांतरित की जाती है, फीड किए जाने पर जिन–जिन पदों के लिए वित्त विभाग द्वारा राशि पी.डी. खातें में हस्तांतरित की गई है जिनका विवरण संबंधित प्रशासक के लॉगिन में उपलब्ध होगा। ऐसा पद जो संबंधित संस्था में है लेकिन सिस्टम में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उन पदों की मैपिंग संबंधित विभागाध्यक्ष/वित्त (बजट) विभाग से सिस्टम पर कराया जाना आवश्यक होगा।

6. कार्यालय उपयोग हेतु Petty Payments जिनका भुगतान संबंधित पी.डी. खाता संचालक/प्रशासक द्वारा नकद किया जाता है, के लिए ऑनलाइन पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस तैयार कर कोषालयों/उपकोषालयों को सिस्टम से अग्रेषित की जावेगी। जिसके लिए कोषालय/उपकोषालय द्वारा संबंधित पी.डी. खाता प्रशासक/संचालक के पक्ष में कोषागार चैक जारी किया जावेगा।

7. वर्तमान में पी.डी. खातों के संचालक वर्तमान में पे–मैनेजर पर उपलब्ध लॉगिन आई. डी. से ऑनलाइन पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस जनरेट करने की सुविधा पे–मैनेजर की डेमो साईट 164.100.153.22/paymanagerdemo पर उपलब्ध है। जिस पर पी.डी. पेमेन्ट एडवाइस जनरेट कर फीडबैक/सुझाव निदेशालय कोष एवं लेखा को प्रेषित किये जा सकते है।

भवदीय

(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS/10715-11140 दिनांक 22/8/2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (बजट) शासन सचिवालय, जयपुर
5. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग को वित्त विभाग की साइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. समस्त, कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 22.08.2017 तक उपयुक्त कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही स्थानीय स्तर पर संबंधित पी.डी.खाता के संचालकों को नवीन सिस्टम में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण करावें। प्रशिक्षण आवश्यक हो तो वह भी प्रदान करने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव